राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (जे–109) अलेसे–I/ 966 **दिनांकः– 23/08/22**

आदेश

श्री जुगल किशोर पाटीदार, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय पंचायत समिति, पिडावा मु0 सुनेल जिला झालावाड़ (हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय कोषालय झालावाड) के विरूद्ध आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक 71 दिनांक 12.01.2016 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त क्रम में उल्लेखनीय है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(ख)(2) के अनुसार श्री पाटीदार तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार के विरूद्ध दण्डादेश जारी करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात निदेशक, कोष एवं लेखा से प्रस्तावित दण्डादेश पर परामर्श किया जाना अपेक्षित था परन्तु आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा निदेशक कोष एवं लेखा से दण्डादेश के संबंध में परामर्श नहीं किया गया। साथ ही कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग द्वारा प्रकरण में प्राप्त अभिमत अनुसार आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा दण्डादेश जारी करने से पूर्व नियक्ति प्राधिकारी से परामर्श नहीं लिया जाना प्रक्रियात्मक त्रुटि को दर्शाता है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(ख)(2) के प्रावधान एवं कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग द्वारा प्रकरण में प्राप्त अभिमत के अनुसरण में आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 71 दिनांक 12.01.2016 द्वारा श्री पाटीदार को दिये गये दण्ड को अपास्त किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क) (जे–109) अलेसे–I/ 966 **दिनांकः– 23/08/22**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
2 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–3/जॉच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 श्री जुगल किशोर पाटीदार, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, कार्यालय कोषालय, झालावाड़।
5 उप निदेशक (एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
6 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)